

उप निदेशक(रेशम)

फतेहपुर, बहराइच,।

सहायक निदेशक(रेशम)

वाराणसी, चन्दौली, मिर्जापुर, कानपुर नगर,
गोरखपुर, मेरठ, औरैया, सोनभद्र, झांसी।

आहरण वितरण अधिकारी

फतेहपुर, वाराणसी, कानपुर नगर,
बहराइच, गोरखपुर, मेरठ, औरैया, सोनभद्र, झांसी।


रेशम विकास अनुभाग के शासनादेश संख्या-14/2017/178/74-2017-15(ब)/2017 दिनांक 18 मई, 2017, के द्वारा ₹0 4,17,000.00 (रूपये चार लाख सत्रह हजार मात्र) की स्वीकृति अनुदान सं0-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के लेखा शीर्षक 4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-107-रेशम उत्पादन उद्योग-06-रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना के 26-मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद के अन्तर्गत जारी की गयी है। उपर्युक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि ₹0 4,17,000.00 (रूपये चार लाख सत्रह हजार मात्र) का आवंटन संलग्नक के अनुसार निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है:-

1. स्वीकृति धनराशि के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सामग्रियों को क्रय स्टोर परचेज रूल्स तथा समय समय पर जारी संबंधित शासनादेश द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार ही किया जाए।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व स्वीकृति/सहमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
3. आवंटित धनराशि का नियमानुसार, जहां आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर अथवा प्रतिनिधायन की सीमा के अन्तर्गत व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।
4. प्रत्येक मद में आवंटित धनराशि की सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय और इसका ध्यान रखा जाय कि दायित्वों का सृजन किसी भी दशा में न होने पाये, यदि किसी प्रकार का ऋणात्मक व्यय किया जाता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
5. शासन द्वारा समय-समय पर मितव्ययता से संबंधित निर्गत निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय तथा क्रय की जाने वाली सामग्रियों/उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।

6. यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे वित्तीय नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व ही (माह फरवरी 2018 के अन्तिम सप्ताह) निश्चित रूप से निदेशालय को समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवंटित धनराशि का योजनान्तर्गत कारित कार्यों हेतु ही उचित उपयोग किया जा रहा है।
7. आवंटित धनराशि का उपयोग वास्तविकता के आधार पर किया जाए तथा किसी भी दशा में कोषागार से धनराशि आहरित कर बैंक खाते में न रखा जाए। यदि इस प्रकार का प्रकरण प्रकाश में आता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

आवंटित धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं०-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के लेखा शीर्षक 4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-107-रेशम उत्पादन उद्योग-06-रेशम कीटाणु के विकास की योजना के 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद के नामे डाला जायेगा। इस आवंटन की प्रविष्टि अनुदान सं०-10 के वर्ष 2017-18 के आवंटन पंजिका के पृष्ठ-25 पर कर ली गई है।


संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


 (पी०सी०चौधरी)
 वित्त नियंत्रक

पत्रांक ०९ सेरी०/लेखा/आयो० बजट/2014-15 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि-निम्न को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15-थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 30प्र०, इलाहाबाद।
3. अनु सचिव, रेशम विकास अनुभाग, 30प्र० शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ, फतेहपुर, वाराणसी, कानपुर नगर, बहराइच, गोरखपुर, मेरठ, औरैया, सोनभद्र, झांसी।
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 30प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
6. उप निदेशक (रेशम) मुख्यालय, लखनऊ।
7. ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक, मुख्यालय-लखनऊ।
8. व्यय सहायक, मुख्यालय-लखनऊ।
9. प्रोग्रामर/कम्प्यूटर अनुभाग, रेशम निदेशालय 30प्र० लखनऊ को इस आशय से कि उपरोक्त को वेबसाइट पर अपलोड कर दे।


 (पी०सी०चौधरी)
 वित्त नियंत्रक

पत्रांक 09 /सैरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18 दिनांक:: 04 जून, 2017 का अनुलग्नक

अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(औद्योगिक एवं रेशम विकास)


4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-107-रेशम उत्पादन उद्योग-06-रेशम कीटाणुनाशक विकास की योजना

वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम पांच माह हेतु स्वीकृति धनराशि का जनपदवार एवं मदवार फॉट का विवरण
(धनराशि रुपये में)

| क0 स0 | आहरण वितरण अधिकारी का पद नाम | जनपद | कोषागार का नाम | मदवार धनराशि का आवंटन | | पूर्व में आवंटित धनराशि | प्रगामी योग |
|----------|---------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| | | | | 26-मशीनें और संयंत्र | सज्जा/उपकरण और योग | | |
| 1 | उप निदेशक, रेशम | चन्दौली | वाराणसी | 30000 | 30000 | 0 | 30000 |
| 2 | उप निदेशक, रेशम | मिर्जापुर | वाराणसी | 30000 | 30000 | 0 | 30000 |
| | | योग | | 60000 | 60000 | 0 | 60000 |
| 3 | सहा0 निदेशक, रेशम | कानपुर नगर | कानपुर नगर | 21000 | 21000 | 0 | 21000 |
| 4 | सहा0 निदेशक, रेशम | कानपुर देहात | कानपुर नगर | 21000 | 21000 | 0 | 21000 |
| | | योग | | 42000 | 42000 | 0 | 42000 |
| 5 | सहा0 निदेशक, रेशम | ललितपुर | झांसी | 21000 | 21000 | 0 | 21000 |
| 6 | सहा0 निदेशक, रेशम | चित्रकूट | झांसी | 5000 | 5000 | 0 | 5000 |
| | | योग | | 26000 | 26000 | 0 | 26000 |
| 7 | सहा0 निदेशक, रेशम | बहराइच | बहराइच | 53000 | 53000 | 0 | 53000 |
| 8 | उप निदेशक, रेशम | गोरखपुर | गोरखपुर | 53000 | 53000 | 0 | 53000 |
| 9 | सहा0 निदेशक, रेशम | मेरठ | मेरठ | 53000 | 53000 | 0 | 53000 |
| 10 | सहा0 निदेशक, रेशम | औरैया | औरैया | 53000 | 53000 | 0 | 53000 |
| 11 | सहा0 निदेशक, रेशम | सोनभद्र | सोनभद्र | 53000 | 53000 | 0 | 53000 |
| 12 | सहा0 निदेशक, रेशम | फतेहपुर | फतेहपुर | 24000 | 24000 | 0 | 24000 |
| | | महायोग | | 417000 | 417000 | 0 | 417000 |

तेरह अंको का कोड नम्बर

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


(पा0सी0चौधरी)
वित्त नियंत्रक